

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित "फैमिली प्लानिंग इन्डैमिनिटी उपसमिति" की सम्पन्न हुई 20वीं बैठक दिनांक 24 सितम्बर 2022 का कार्यवृत्त।

परिवार नियोजन इन्डैमिनिटी योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित "परिवार नियोजन इन्डैमिनिटी उपसमिति" की 20वीं बैठक श्रीमती अपर्णा उपाध्याय, निशान निदेशक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 24 सितम्बर 2022 (दिन-शनिवार) को प्रातः 11:00 बजे जूम लिंक के माध्यम से बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें अधिकारियों / कर्मचारियों की उपस्थिति निम्नवत् रही:-

- | | | | |
|-----|--|---|------------|
| (1) | डा० रेनु श्रीवास्तव वर्मा,
महानिदेशक
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | - | संयोजक |
| (2) | डा० आश्विनी कुमार,
संयुक्त निदेशक(प०क०),
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | - | सदस्य सचिव |
| (3) | डा० दीपिका सेठ,
कन्सलटेंट(स्त्री रोग विशेषज्ञ)
दीरांगना अक्वीबाई महिला चिकित्सालय,
गोलागंज, लखनऊ। | - | सदस्य |
| (4) | डा० ए०के० शर्मा,
वरिष्ठ परामर्शदाता, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल,
हजरतगंज, लखनऊ। | - | सदस्य |

Handwritten signature

- (5) डा० रिकू श्रीवारसव,
महापबन्धक(परिवार नियोजन),
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
— विशेष आमंत्रित
- (6) श्रीमती संतोष कुमारी रावत,
प्रधान सहायक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
— विशेष आमंत्रित
- (7) श्री अरविन्द उपाध्याय,
कन्सलटेंट(परिवार नियोजन),
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
— विशेष आमंत्रित

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से डा० अश्विनी कुमार, संयुक्त निदेशक(प०क०) द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया।
तत्पश्चात बैठक प्रारम्भ करते हुये एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नवत निर्णय लिये गये:—

एजेण्डा मद संख्या:—01

(गत् बैठक दिनांक 09 अक्टूबर 2021 की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन आख्या)

सर्वप्रथम समिति के समक्ष गत् बैठक दिनांक 09 अक्टूबर 2021 का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। मिशन निदेशक महोदया द्वारा पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा मद संख्या:-02

(प्रगति का विवरण)

डा० अश्विनी कुमार, संयुक्त निदेशक (10क0) द्वारा आगत कराया गया कि अब तक "परिवार नियोजन इण्डेभिनिटी उपसमिति" की कुल 19 बैठकें सम्पन्न हो चुकी है। योजना के प्रारम्भ से अब तक राज्य स्तर पर कुल प्राप्त क्लेम फार्मों व उनके सापेक्ष निस्तारित दावा प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है:-

- (1) विगत बैठकों में समिति के समक्ष प्रस्तुत दावा प्रपत्रों की संख्या:- 4494
- (2) विगत बैठकों में प्रस्तुत दावों के सापेक्ष स्वीकृत दावों की संख्या:- 3637
- (3) विगत बैठकों में प्रस्तुत दावों के सापेक्ष अस्वीकृत दावों की संख्या:- 857
- (4) परीक्षणोपरान्त आज की बैठक दिनांक 24 सितम्बर 2022 में निस्तारणार्थ प्रस्तुत दावों की संख्या:- 456

एजेण्डा मद संख्या:-03

(बैठक में प्रस्तुत किये गये विभिन्न जनपदों से प्राप्त दावा प्रपत्रों का विवरण)

क्र० सं०	जनपद का नाम	प्रस्तुत दावा प्रपत्रों का विवरण			कुल दावा प्रपत्रों की संख्या
		गर्भधारण	दावा प्राप्त जटिलता	मृत्यु	
1	आगरा	22	0	1	23
2	दासपुर	9	0	0	9
3	सन्तकशीर नगर	24	0	2	26
4	कानपुर दहात	12	0	0	12
5	मिर्जापुर	3	0	0	3

6	बलरामपुर	9	0	0	9
7	झोंसी	11	0	0	11
8	मथुरा	3	0	0	3
9	इटवा	9	0	0	9
10	फर्रुखाबाद	9	0	0	9
11	बरेली	3	0	0	3
12	मऊ	12	0	0	12
13	बलिया	4	0	0	4
14	महोबा	2	0	1	3
15	आजमगढ़	27	0	0	27
16	गोण्डा	6	0	0	6
17	लखनऊ	6	0	0	6
18	अमेठी	11	0	0	11
19	मेरठ	0	0	2	2
20	पीलीभीत	13	0	1	14
21	बिजनौर	8	0	0	8
22	महाराजगंज	19	0	0	19
23	शाहजहाँपुर	60	0	0	60
24	अयोध्या	4	0	0	4
25	फिरोजाबाद	2	0	0	2
26	हरदोई	18	0	0	18
27	सुल्तानपुर	0	0	1	1
28	सैनपुरी	7	0	0	7
29	बाराबंकी	13	0	0	13
30	देवरिया	28	0	0	28
31	बुलन्दशहर	12	0	0	12
32	अमरोहा	26	0	0	26
33	हाथरस	6	0	0	6
34	औरैया	7	0	0	7
35	बदायूं	4	0	0	4
36	बहराइच	30	0	0	30
37	कौशाम्बी	1	0	0	1

38	बादा	2	0	0	0	2			
39	अलीगढ़	5	0	0	0	5			
40	गाजीपुर	0	0	0	1	1			
	योग	447	0	0	9	456			

एजेण्डा मद संख्या:-04

(बैठक में समिति द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये दावा प्रपत्रों का विवरण)

40 जनपदों से प्राप्त कुल 456 दावा प्रपत्रों (नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण के 447 एवं मृत्यु के 09) को समिति के समक्ष निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 456 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 435 दावा प्रपत्र (जिसमें 426 दावा प्रपत्र गर्भधारण के व 09 दावा प्रपत्र मृत्यु के) स्वीकृत किये गये हैं, शेष 21 दावा प्रपत्र(गर्भधारण) अस्वीकृत किये गये, समिति द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये दावा प्रपत्रों का जनपदवार विवरण निम्नवत है:-

1. आगरा:-

जनपद आगरा से प्राप्त वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 03, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 06, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 10 व मृत्यु के 01 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 03 कुल 23 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 23 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 20 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 03 दावा प्रपत्रों को अस्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- श्रीमती सरिता पत्नी श्री बब्लू निवासी गढ़ी भदौरिया प्रतापनगर जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 16.03.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (लगभग 05 माह बाद) दिनांक 24.08.2020 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती नजमा पत्नी श्री परवेज निवासी कुबेरपुर नुनिहाई जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 05.05.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (लगभग 06 माह बाद) दिनांक 18.11.2019 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती संगीता पत्नी श्री लक्ष्मण निवासी 6/23 प्रकाश नगर शाहगंज जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 25.07.2018) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (लगभग 05 दिन बाद) दिनांक 30.10.2018 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

2. रामपुर:-

जनपद रामपुर से प्राप्त वर्ष 2014-15 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 04 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 04 कुल 09 दावा प्रपत्रों का राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 09 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 09 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

3. सन्तकबीर नगर:-

जनपद सन्तकबीर नगर से प्राप्त 2019-20 के गर्भधारण के 07, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 07 व मृत्यु के 01 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 10 व मृत्यु के 01 कुल 26 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसका परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 26 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 25 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 01 दावा प्रपत्र को अस्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री विनय कुमार निवासी ग्राम विसरी पोस्ट घघसरा पाली जनपद गोरखपुर के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 20.02.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (लगभग 07 माह बाद) दिनांक 11.09.2020 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

4. कानपुर देहात:-

जनपद कानपुर देहात से प्राप्त 2019-20 के गर्भधारण के 05 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 07 कुल 12 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 12 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 08 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 04 दावा प्रपत्रों को अस्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- श्रीमती कान्ती देवी पत्नी श्री शिव गोपाल प्रजापति निवासी ककरमउ मैथा जनपद कानपुर देहात के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 22.05.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (लगभग 04 माह बाद) दिनांक 01.10.2019 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री श्याम सिंह निवासी बलुआपार मैथा जनपद कानपुर देहात के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 29.05.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (लगभग 04 माह बाद) दिनांक 17.09.2019 को किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती संगीता पत्नी श्री नरेश निवासी रायपुर कमालपुर अकारु जनपद कानपुर देहात के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 22.12.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (लगभग 08 माह बाद) दिनांक 17.09.2020 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री महेन्द्र निवासी लालचन्द्रपुरवा खानपुर चैन अकारु कानपुर देहात के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 11.02.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (लगभग 06 माह बाद) दिनांक 11.08.2020 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

5. मिर्जापुर:-
जनपद मिर्जापुर से प्राप्त वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 01 कुल 03 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 03 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

6. बलरामपुर:-
जनपद बलरामपुर से प्राप्त वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 06 कुल 09 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 09 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 09 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

7. झाँसी:-
जनपद झाँसी से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 04 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 07 कुल 11 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 11 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 11 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

8. मथुरा:-
जनपद मथुरा से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के कुल 03 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 03 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

9. इटावा:-
जनपद इटावा से प्राप्त वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 07 कुल 09 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 09 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 09 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

10. फर्रुखाबाद:-
जनपद फर्रुखाबाद से प्राप्त वर्ष 2019-20 के 01 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 08 कुल 09 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 09 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 09 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

11. बरेली:-

जनपद बरेली से प्राप्त वर्ष 2019-20 के 02 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 01 कुल 03 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 03 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

12. मऊ:-

जनपद मऊ से प्राप्त वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 11 कुल 12 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 12 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 12 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

13. बलिया:-

जनपद बलिया से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 03 कुल 04 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 04 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 04 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

14. महोबा:-

जनपद महोबा से प्राप्त 2016-17 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2021-22 के मृत्यु के 01 कुल 03 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 03 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 02 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 01 दावा प्रपत्र को अस्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- श्रीमती अभिलाषा सिंह पत्नी श्री राजेश निवासी ग्राम कोटरा जनपद महोबा के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 27.12.2016) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 06.03.2020 को किया गया (लगभग 03 वर्ष बाद) जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

15. आजमगढ़:-

जनपद आजमगढ़ से प्राप्त वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 02, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 14 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 11 कुल 27 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 27 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 27 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

16. गोण्डा:-

जनपद गोण्डा से वर्ष 2013-14 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2016-17 के गर्भधारण 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 03 कुल 06 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 06 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 05 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 01 दावा प्रपत्र को अस्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- श्रीमती शीला सिंह पत्नी श्री कपिल देव निवासी ग्राम व पोस्ट जमथा वि०ख० तरवानांज जनपद गोण्डा के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 11.11.2013) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 31.12.2014 को किया गया (लगभग 01 वर्ष बाद) जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

17. लखनऊ:-

जनपद लखनऊ से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 04 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 01 कुल 06 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 06 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 06 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

18. अमेठी:-

जनपद अमेठी से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 04, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 04 एवं 2021-22 के गर्भधारण के 03 कुल 11 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 11 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 01 दावा प्रपत्र को अस्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- श्रीमती राम विद्यास पत्नी श्री भगोल निवासी दक्खिन गाँव शुकुल बाजार जनपद अमेठी के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 09.09.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (लगभग 04 माह बाद) दिनांक 24.01.2020 को किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

19. मेरठ:-

जनपद मेरठ से प्राप्त वर्ष 2021-22 के मृत्यु के कुल 02 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 02 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 02 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

20. पीलीभीत:-
जनपद पीलीभीत से प्राप्त वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 10 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 02 व मृत्यु के 01 कुल 14 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 14 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 14 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

21. बिजनौर:-
जनपद बिजनौर से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 02 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 06 कुल 08 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 08 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 08 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

22. महाराजगंज:-
जनपद महाराजगंज से प्राप्त वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 02, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 11 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 06 कुल 19 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 19 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 19 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

23. शाहजहाँपुर:-
जनपद शाहजहाँपुर से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 13, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 26, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 20 एवं 2022-23 के गर्भधारण के 01 कुल 60 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 60 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 58 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 02 दावा प्रपत्र को अस्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- श्रीमती राधिक़ा पत्नी श्री सुभाष निवासी ग्राम बैसरी ब्लॉक जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 20.03.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 24.06.2020 को किया गया (लगभग 94 दिन बाद) जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

- श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री गिरधारी निवासी ग्राम भंडेरी वि०ख० सिधौली जनपद शाहजहाँपुर के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त लाभार्थी को गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 17.06.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 19.09.2020 को किया गया (लगभग 92 दिन बाद) जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

24. अयोध्या:- जनपद अयोध्या से प्राप्त वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2020-21 के 02 कुल 04 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 04 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 04 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

25. फिरोजाबाद:- जनपद फिरोजाबाद से प्राप्त वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2020-21 के 01 कुल 02 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 02 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 02 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

26. हरदोई:- जनपद हरदोई से प्राप्त वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 05, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 05 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 08 कुल 18 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 18 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 18 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

27. सुल्तानपुर:- जनपद सुल्तानपुर से प्राप्त वर्ष 2019-20 के मृत्यु के कुल 01 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 01 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 01 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

28. मैनपुरी:- जनपद मैनपुरी से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 06 कुल 07 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 07 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 07 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

29. बाराबंकी:- जनपद बाराबंकी से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 10 कुल 13 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 13 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 13 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

30. देवरिया:-

जनपद देवरिया से प्राप्त वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 03, वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 03, एवं वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 19 कुल 28 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 28 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 28 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

31. बुलन्दशहर:-

जनपद बुलन्दशहर से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 03, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 08 कुल 12 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 12 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 07 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 05 दावा प्रपत्र को अस्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- श्रीमती रूबीना पत्नी श्री फईमुद्दीन निवासी ग्राम नवादा पोस्ट चन्देरू जनपद बुलन्दशहर के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 27.07.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 07.12.2020 को किया गया (लगभग 11 माह बाद) जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती रजनी पत्नी श्री पिन्दू सिंह निवासी ग्राम बैरा फिरोजपुर स्थाना जनपद बुलन्दशहर के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 30.10.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 07.12.2020 को किया गया (लगभग 01 वर्ष बाद) जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती मानवती देवी पत्नी श्री गंगा प्रसाद निवासी ग्राम कादरीबाग पोस्ट डिबाई जनपद बुलन्दशहर के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 21.10.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 07.12.2020 को किया गया (लगभग 01 वर्ष बाद) जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती ममता पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सुधारनपुर पोस्ट बी०बी० नगर जनपद बुलन्दशहर के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 30.03.2021) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 13.08.2021 को किया गया (लगभग 04 माह बाद) जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती रिकी पत्नी श्री मनोज निवासी ग्राम समकोला गुलौटी जनपद बुलन्दशहर के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 09.04.2021) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 13.08.2021 को किया गया (लगभग 04 माह बाद) जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

32. अमरोहा:-

जनपद अमरोहा से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 04 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 22 कुल 26 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 26 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 26 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

33. हाथरस:-

जनपद हाथरस से प्राप्त वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 03 कुल 06 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 06 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 06 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

34. औरैया:-

जनपद औरैया से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 04 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 03 कुल 07 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 07 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 07 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

35. बदायूं:-

जनपद बदायूं से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 01 कुल 04 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 04 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 01 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 03 दावा प्रपत्र को अस्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- श्रीमती शिल्पी पत्नी श्री भोल सिंह निवासी ग्राम कुण्डरा मजरा ब्लॉक व तहसील दातागंज जनपद बदायूं के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 16.12.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 11.06.2020 को किया गया (लाभानग 06 माह बाद) जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती अनारकली पत्नी श्री धर्मेश कुमार निवासी ग्राम कुन्दावली मुंशी नगला इस्लाम नगर जनपद बदायूं के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 24.03.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 27.07.2020 को किया गया (लाभानग 93 दिन बाद) जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

- श्रीमती मामनी पत्नी श्री अमरजीत निवारी ग्राम खंदकर तहसील सहसवान जनपद बदायूं के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 18.10.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 05.02.2021 को किया गया (लगभग 04 माह बाद) जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

36. बहराइच:-

जनपद बहराइच से प्राप्त वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 14 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 15 कुल 30 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 30 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 30 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

37. कौशाम्बी:-

जनपद कौशाम्बी से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के कुल 01 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 01 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 01 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

38. बांदा:-

जनपद बांदा से प्राप्त वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के कुल 02 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 02 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 02 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

39. अलीगढ़:-

जनपद अलीगढ़ से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के कुल 04 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 04 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 04 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

40. गाजीपुर:-

जनपद गाजीपुर से प्राप्त वर्ष 2020-21 के मृत्यु के कुल 01 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 01 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 01 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

एजेण्डा मद संख्या:-05
 (ऐसे दावा प्रपत्रों का विवरण जिनका भुगतान शासनादेश दिनांक 21 अगस्त 2019 के अनुसार किया जाना है)

क्र० सं०	जनपद का नाम	वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		दावा प्राप्त की संख्या		कुल दावा प्रपत्रों की संख्या
		गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	
1	आगरा	1	0	7	1	3	0	0	0	11	1	12
2	रामपुर	0	0	2	0	5	0	0	0	7	0	7
3	सतकशीर नगर	1	0	1	1	9	1	0	0	11	2	13
4	कानपुर देहात	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4
5	मिर्जापुर	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2
6	बलरामपुर	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5
7	झाँसी	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5
8	म्हुरा	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
9	इटवा	0	0	1	0	6	0	0	0	7	0	7
10	फर्रुखाबाद	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6
11	बरेली	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2
12	मऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	बलिया	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3
14	महोबा	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
15	आजमगढ़	1	0	7	0	0	0	0	0	8	0	8
16	गोण्डा	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3
17	लखनऊ	0	0	1	0	3	0	1	0	5	0	5
18	अमेठी	0	0	4	0	3	0	0	0	7	0	7
19	मेरठ	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2
20	पीलीभीत	0	0	4	0	2	1	0	0	6	1	7
21	बिजनौर	0	0	1	0	4	0	0	0	5	0	5
22	महाराजगंज	0	0	2	0	5	0	0	0	7	0	7
23	शाहजहाँपुर	2	0	12	0	12	0	1	0	27	0	27
24	अयोध्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	फिरोजाबाद	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1

26	हरदोई	0	0	4	0	5	0	0	9	0	9
27	सुल्तानपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
28	मैनपुरी	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2
29	बाराबंकी	0	0	2	0	8	0	0	10	0	10
30	देवरिया	0	0	0	0	16	0	0	16	0	16
31	बुलन्दशहर	0	0	0	0	7	0	0	7	0	7
32	अमरोहा	0	0	2	0	15	0	0	17	0	17
33	हाथरस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	औरैया	0	0	2	0	3	0	0	5	0	5
35	बदायूं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	बहराइच	2	0	6	0	0	0	0	8	0	8
37	कौशांबी	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
38	बांदा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	अलीगढ़	0	0	4	0	1	0	0	5	0	5
40	गाजीपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
	योग	8	0	73	4	132	5	2	215	9	224

एजेंड्या मद संख्या-06

(अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य बिन्दु)

डा० अश्विनी कुमार, संयुक्त निदेशक(प०क०)/सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या:52/2019/1115/पांच-9-2019-9(56)/12, दिनांक 21 अगस्त 2019 के माध्यम से नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण/जटिलता/मृत्यु से सम्बन्धित प्रकरणों में लाभार्थियों को प्रदान की जा रही धनराशि को दुगुनी किया गया है परन्तु मद में धनराशि की अतिरिक्त व्यवस्था न होने के कारण विगत बैठकों में स्वीकृत दावा प्रपत्रों का भुगतान दुगुनी दर से अभी तक नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि इस बैठक में भी 224 दावा प्रपत्र ऐसे हैं, जिनका भुगतान दुगुना किया जाना है।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि जब तक मद में बजट की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक पूर्व की भाँति इस बैठक में भी शासनादेश दिनांक 21 अगस्त 2019 से आच्छादित 224 दावा प्रपत्रों का भुगतान शासनादेश संख्या:543/पांच-9-14-9(293)/13, दिनांक 03 जुलाई 2014 के अनुसार पूर्व निर्धारित दर से किया जाए।

इसके अतिरिक्त अध्याक्ष महोदयों द्वारा बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि:-

1. नसबन्दी उपरान्त मृत्यु से सम्बन्धित समस्त प्रकरण में Verbal Autopsy (Annexure-VIII) करने वाले समस्त सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण Verbal Autopsy करने हेतु Orientation प्रदान किया जाए एवं इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को पत्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही-संयुक्त निदेशक(पंक०)/महाप्रबन्धक,पंक०, एन०एच०एम०)

2. नसबन्दी उपरान्त मृत्यु से सम्बन्धित प्रकरणों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विशेष महत्त्व है। अतः आशा/ए०एन०एम० एवं अन्य सेवाप्रदाता द्वारा पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु परिजनों को प्रेरित किया जाए सम्बन्धी पत्र समस्त जनपदों को प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही-संयुक्त निदेशक(पंक०)/महाप्रबन्धक,पंक०, एन०एच०एम०)

3. नसबन्दी उपरान्त लाभाश्रियों का Followup सी०एच०ओ०/आशा/ए०एन०एम० के द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाए। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को पत्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही-संयुक्त निदेशक(पंक०)/महाप्रबन्धक,पंक०, एन०एच०एम०)

4. नसबन्दी हेतु लाभाश्रियों के चयन में सेवाप्रदाताओं द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए कि लाभार्थी नसबन्दी हेतु सर्वथा उपयुक्त है एवं उसे कोई अन्य ऐसी बीमारी नहीं है जिससे नसबन्दी में जटिलता अथवा अन्य कठिनाई उत्पन्न हो इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को पत्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही-संयुक्त निदेशक(पंक०)/महाप्रबन्धक,पंक०, एन०एच०एम०)

निर्णय:

समिति द्वारा सर्वसम्मति से 456 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 435 दावा प्रपत्रों का भुगतान सम्बन्धित जनपदों को आवंटित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

विन्दु संख्या:1 परिवार नियोजन इन्डिभिनिटी योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2013 से प्रदान की जा रही धनराशि के अनुसार:-

शासनादेश संख्या:543/पत्र-9-14-9(293)/13, दिनांक 03 जुलाई 2014 के अनुसार गर्भधारण के कुल 211 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 63,30,000/- (रु० तिरसठ लाख तीस हजार मात्र) का भुगतान उपरोक्त जनपदों को करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

क्र० सं०	जनपद का नाम	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	कुल
		2014-15	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल दावा प्रपत्रों की संख्या	वर्ष 2014-15	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2021-22	वर्ष 2021-22
1	आगरा	0	0	0	2	3	3	0	8	30000	0	0	0	60000	90000	90000	0	240000
2	रामपुर	1	0	0	0	0	1	0	2	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	60000
3	सरनकरौर नगर	0	0	0	0	5	6	1	12	30000	0	0	0	150000	180000	30000	0	360000
4	कानपुर देहात	0	0	0	0	1	3	0	4	30000	0	0	0	30000	90000	0	0	120000
5	मिर्जापुर	0	0	0	0	1	0	0	1	30000	0	0	0	30000	0	0	0	30000
6	बलरामपुर	0	0	0	1	1	1	1	4	30000	0	0	30000	30000	30000	30000	0	120000
7	झाँसी	0	0	0	0	0	4	2	6	30000	0	0	0	0	120000	60000	0	180000
8	मथुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	इटावा	0	0	1	0	0	0	1	2	30000	0	30000	0	0	0	0	0	30000
10	फर्रुखाबाद	0	0	0	0	1	0	2	3	30000	0	0	0	30000	0	60000	0	90000
11	बरेली	0	0	0	0	1	0	0	1	30000	0	0	0	30000	0	0	0	30000
12	मऊ	0	0	1	11	0	0	0	12	30000	0	30000	330000	0	0	0	0	360000
13	बलिया	0	0	0	0	0	1	0	1	30000	0	0	0	0	30000	0	0	30000
14	महोबा	0	0	0	1	0	0	0	1	30000	0	0	30000	0	0	0	0	30000
15	आजमगढ़	0	0	0	2	13	4	0	19	30000	0	0	60000	390000	120000	0	0	570000
16	गोंडवा	0	1	0	0	1	0	0	2	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	60000
17	लखनऊ	0	0	0	0	0	0	1	1	30000	0	0	0	0	0	30000	0	30000
18	अमंदी	0	0	0	0	3	0	0	3	30000	0	0	0	90000	0	0	0	90000
19	मेरठ	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	पीलीभीत	0	0	0	0	1	6	0	7	30000	0	0	0	30000	180000	0	0	210000
21	बिजनौर	0	0	0	0	0	1	2	3	30000	0	0	0	0	30000	60000	0	90000
22	महाराजगंज	0	0	0	0	2	9	1	12	30000	0	0	0	60000	270000	30000	0	360000

23	शाहजहाँपुर	0	0	0	0	10	13	8	31	30000	0	0	0	0	0	300000	-390000	240000	930000
24	अयोध्या	0	0	0	1	1	2	0	4	30000	0	0	0	30000	300000	0	60000	0	120000
25	फिरोजाबाद	0	0	0	0	1	0	0	1	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	30000
26	हरदोई	0	0	0	0	5	1	3	9	30000	0	0	0	0	150000	30000	30000	90000	270000
27	सुल्तानपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	120000	150000
28	मैनपुरी	0	0	0	0	0	1	4	5	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	90000
29	बाराबंकी	0	0	0	0	0	1	2	3	30000	0	0	0	0	0	0	0	90000	360000
30	देवरिया	0	0	3	3	3	0	3	12	30000	0	0	90000	90000	90000	0	0	90000	0
31	बुलन्दशहर	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	अनूपमा	0	0	0	0	0	2	8	10	30000	0	0	0	0	0	0	60000	240000	300000
33	हाथरस	0	0	0	3	3	0	0	6	30000	0	0	0	90000	90000	0	60000	0	180000
34	औरंगा	0	0	0	0	0	2	0	2	30000	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
35	बदायूँ	0	0	0	0	1	0	0	1	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	30000
36	बदायूँ	0	0	0	1	12	9	0	22	30000	0	0	0	30000	360000	270000	0	0	660000
37	कौशांबी	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	बादा	0	0	0	0	0	0	1	1	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000
39	ऊर्जागढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	गाजीपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	1	1	5	25	69	70	40	211	30000	30000	30000	150000	750000	2070000	2100000	1200000	6330000	

बिन्दु संख्या:2

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में परिवार नियोजन इन्डिभिनिटी योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2019 से नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण/जटिलता/मृत्यु सम्बन्धित प्रकरणों में पूर्व में प्रदान की जा रही धनराशि को दृग्गुनी किये गये व्यवस्थानुसार:-

शासनदेश संख्या:52/2019/1115/पांच-9-2019-9(56)/12, दिनांक 21 अगस्त 2019 के अनुसार गर्भधारण के 215 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 1,29,00000/- (रु० एक करोड़ उन्नीस लाख मात्र) व मृत्यु के 09 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 30,00000/- (रु० तीस लाख मात्र) कुल धनराशि रु० 1,59,00000/- (रु० एक करोड़ उन्सठ लाख मात्र) का भुगतान उपरोक्त जनपदों को करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।



क्रं. का नाम	वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष की संख्या		कुल वर्षों की संख्या	वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		धनराशि		कुल धनराशि
	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु		गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	
1 आगरा	1	0	7	1	3	0	0	0	11	1	12	60000	0	420000	400000	180000	0	0	660000	400000	1060000	
2 रामपुर	0	0	2	0	5	0	0	0	7	0	7	0	0	120000	0	300000	0	0	420000	0	420000	
3 सारन	1	0	1	1	9	1	0	0	11	2	13	60000	0	60000	400000	540000	100000	0	660000	500000	1160000	
4 कानपुर	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	240000	0	0	0	240000	0	240000		
5 मिर्जापुर	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	60000	0	60000	0	0	120000	0	120000	
6 बालरामपुर	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	300000	0	0	300000	0	300000	
7 झांसी	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	300000	0	0	300000	0	300000	
8 मथुरा	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	180000	0	0	0	180000	0	180000		
9 इटावा	0	0	1	0	6	0	0	0	7	0	7	0	0	60000	0	360000	0	0	420000	0	420000	
10 फर्रुखनगर	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	360000	0	0	360000	0	360000	
11 बरेली	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	60000	0	60000	0	0	0	0	120000	0	120000	
12 मऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 बलिया	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	180000	0	0	180000	0	180000	
14 महराज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	400000	0	0	400000	0	400000
15 आजनगर	1	0	7	0	0	0	0	0	8	0	8	60000	0	420000	0	0	0	0	480000	0	480000	
16 गोरख	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	180000	0	0	180000	0	180000	
17 लखनऊ	0	0	1	0	3	0	0	1	5	0	5	0	0	60000	0	0	60000	0	420000	0	420000	
18 अमैठी	0	0	4	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	240000	0	180000	0	0	420000	0	420000	
19 शरद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	500000	0	0	500000	0	500000
20 पीलीभीत	0	0	4	0	2	1	0	0	6	1	7	0	0	240000	0	120000	400000	0	360000	400000	760000	
21 बिजनौर	0	0	1	0	4	0	0	0	5	0	5	0	0	60000	0	240000	0	0	300000	0	300000	
22 महाराजगंज	0	0	2	0	5	0	0	0	7	0	7	0	0	120000	0	300000	0	0	420000	0	420000	
23 शाहजहाँपुर	2	0	12	0	12	0	1	0	27	0	27	120000	0	720000	0	720000	0	60000	1620000	0	1620000	
24 अयोध्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 फ़िरोजाबाद	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	60000	0	0	0	0	60000	0	60000	
26 हरदोई	0	0	4	0	5	0	0	0	9	0	9	0	0	240000	0	300000	0	0	540000	0	540000	
27 सुल्तानपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000

